फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल पिता श्री हीरालाल बैरवा निवासी राजपुरा दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
2. लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा।

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 46/2018**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.02.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमलगरा जिला राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा द्वारा 24.12.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2018 इस कार्यालय से चाही गई सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन से चाही गयी सूचना उपखण्डं कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने से इस कर्यालय द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6( )( ) के तहत उक्त आवेदन सम्बन्धित कार्यालय तहसीलदार रेलमगरा, खनिज अभियन्ता द्वितीय राजसमन्द महाप्रबन्धक एवं लोकेशन हेड हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपूरा—दरीबा एवं प्रबन्ध सिन्देसर खुर्द माईन्स को प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना सीधे ही प्रार्थी को उपलब्ध कराये जानेहेतु पत्र क्रमांक/सू0अ02005/2016/2031—35 दिनांक 26.06.2018 को लिखा जाकर प्रार्थी को भी अवगत कराया गया था। प्रार्थी को उपलब्ध करायी गयी प्रति की छाया प्रति प्रार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत कर रखी है। प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.06.2018 का आवेदन इस कार्यालय को दिनांक 26.06. 2018 को प्राप्त होने पर इस कार्यालय द्वारा तत्काल निर्धारित सम्यावधि में	

कार्यालय जिला कलक्टर

ही समबन्धित कार्यालय/दिनांक को सीधे ही प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु भिजवा दिया गया था।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा द्वारा जरिये. क्रमांक/रीडर/सूचनाका अधिकारी/2018/54 दिनांक 23.01.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार श्री छगनलाल पिता हिरालाल बैरवा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दायर की गयी अपील में प्रकट किए गए समस्त तथ्य हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीबा की खनन लीज संख्या 12/76 राजपुरा दरीबा खदान एवं खनन लीज संख्या 03/89 सिन्देसरखुर्द. तथासुनारियाखेडा टेलिंग डेम व मेहन्दुरिया स्मेल्टिंग एवं पावर प्लांट की भुमियों एवं अन्य विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों, संविदाकारों, कार्यरत कार्मिको, माईन्स एक्ट 1952 के प्रवधानों की पालना, इत्यादी से संबंधित हैं। कार्यालय हाजा से संबंधित किसी प्रकार की सूचना प्राप्त किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा आवेदनपत्र में चाही गयी सुचना से संबंधित कोई रिकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी का मूलही आवेदन पत्र कार्यालय हाजा के पत्रांक 231 दिनांक 29 जून 2018 के द्वारा उप महाप्रबन्धक, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, राजपुरा दरीबा को आवेदन पत्र में अंकित सूचनाएं आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराए जाने हेतु आवेदन पत्र भिजवा दिया गया। इसके पश्चात कार्यालय के द्वारा अपीलार्थी को पुनः पत्रांक 351 दिनांक 26.11.2018 को लिखा जाकर अवगत कराया गया, चुंकि आपका आवेदन पंत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा द्वारा उनके पत्रांक 2031–35 दिनांक 26.06.2018 के माध्यम से खनिज अभियंता, खान एवं भु विज्ञान विभाग, राजसमन्द II, हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा, इत्यादी को भिजवाते हुए अपीलार्थी छगनलाल आप स्वयं को भी सुचनार्थ प्रति दी गयी है, ऐसी स्थिती में अपीलार्थी संबंधित कार्यालय/विभाग से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करें। अपीलार्थी द्वारा श्रीमान आप न्यायालय में प्रथम अपील दायर किए जानें के बाद, उक्त विचाराधीन अपील का निस्तारण नहीं होनें से पूर्व ही माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग में अपील संख्या 100642/2019 दायर करवायी गयी हैं, इसमें आगामी सुनवायी तिथी दिनांक 22.07.2019 नियत है।

प्रार्थी/अपीलार्थी को सुना गया। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयोग को संबोधित प्रार्थना पत्र दिनांकः 14.02.2019 की इस कार्यालय को सूचनार्थ पृष्ठांकित प्रति प्रस्तुत कर सूचना दिलाने की इस्तदुआ कि गई और हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त होना जाहिर करते हुए निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 इस कम्पनी पर भी प्रभावी होने से मुझ प्रार्थी को सूचना दिलवायी जावें किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बंध में एवं सुनवाई के दौरान किये गये कथनों की पुष्ठि में राज्य सरकार के स्पष्ट नोटिफिकेशन, आदेश आदि की कोई प्रति पेश नहीं कर केवल मात्र माईनिंग विभाग, उदयपुर प्रार्थी को जारी पत्र की प्रति पेश की गयी हैं जिससे हिन्दुस्तान जिंक लि0 को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में माना जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है ।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमलगरा जिला राजसमन्द रिपोर्ट एवं प्रार्थी

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान किये गये कथन पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द से संबंधित है । सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 2 (ज) (अनुच्छेद 6) के अनुसरण में हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा ने अपने पत्र दिनांक 30.10.2018 से स्पष्ट किया गया है कि हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स एक प्राईवेट संस्थान है जो आर0टी0आई0 के दायरे में नहीं आती है के संबंध में सूचना दिलाया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के वर्णित प्रावधानों के अनुरूप समुचित नहीं है । प्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा भी सुनवाई के दौरान ऐसे कोई ठोस तथ्य व दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता हो कि हिन्दुस्तान ज़िंक लि0 सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के दायरे में आती हैं।

अतः प्रथम अपील प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सारहिन होने एवं इस कार्यालय के श्रवणाधिकार मे नहीं होना पाये जाने से खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमलगरा जिला राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)